(हरियाणा) पंजाब विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1958

(1958 का पंजाब अधिनियम संख्या 10)

धाराएं **विषय-वस्तु**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. बोर्ड आदि द्वारा उपभोक्ताओं अथवा अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदाय की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क।
4. विद्युत शुल्क का संग्रहण तथा भुगतान।
5. अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना उपभोक्ताओं को स्वयं प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।
6. अभिलेख तथा विवरणियां।
7. निरीक्षण अधिकारी।
8. कुछ मामलों में शास्ति-शुल्क का भुगतान किया जाना।
9. शुल्क की वसूली।
10. शुल्क के भुगतान न किए जाने पर सप्लाई को विच्छेद करने की शक्ति।
11. शास्तियां।
12. छूट देने की शक्ति।
13. नियम बनाने की शक्ति।
14. हरियाणा सरकार को अधिनियम का लागू होना।

SCANNER ODYSSEY APPS

8. (हरियाणा)

~~पंजाब~~ विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1958

(1958 का पंजाब अधिनियम संख्या 10)

[दि पंजाब इलेक्ट्रिसिटि (ड्यूटी) ऐक्ट, 1969, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल के तिथि 11 जून, 1993 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :--]

1	2	3	4
वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	विधान द्वारा निरसित या अन्यथा प्रभावित
1958	10	~~पंजाब~~ 8 (हरियाणा) विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1958	1959 के पंजाब अधिनियम 16 द्वारा भाग में संशोधित।[2] 1963 के पंजाब अधिनियम 11 द्वारा भाग में संशोधित।[3] 1964 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा भाग में संशोधित।[4] हरियाणा विधि-अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968, द्वारा संशोधित।[5] 1974 के हरियाणा अधिनियम 16 द्वारा संशोधित।[6]

विद्युत की बिक्री अथवा उपभोग पर शुल्क उद्गृहीत करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के नौवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

8. (हरियाणा)

1. (1) यह अधिनियम ~~पंजाब~~ विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1958, कहा जा सकता है। — संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण [7][हरियाणा] राज्य में है।

(3) यह अप्रैल, 1958 के प्रथम दिन से लागू होगा।

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-- — परिभाषाएं।

(क) ''बोर्ड'' से अभिप्राय है, विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अध्याय III के अधीन गठित पंजाब राज्य बिजली बोर्ड तथा इसमें राज्य सरकार शामिल है, जब

---

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिये, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1958, पृष्ठ 495.
2. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिये, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1959, पृष्ठ 281, हिन्दी।
3. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिये, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1963, पृष्ठ 444.
4. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिये, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1964, पृष्ठ 935-37.
5. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिये, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), दिनांक 29.10.1968.
6. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिये, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण), 1/1974, पृष्ठ 927 अंग्रेजी, पृष्ठ 929 हिन्दी।
7. 1959 के पंजाब अधिनियम 16 द्वारा खण्ड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित तथा हमेशा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।
8. 2021 के ह. अ. 15 द्वारा प्रतिस्थापित (w.e.f. 01.11.1966).

वह ऊर्जा सप्लाई करने के काम में लगी हो :

परन्तु जब तक पंजाब राज्य बिजली बोर्ड इस प्रकार गठित नहीं कर दिया जाता, बोर्ड से अभिप्राय होगा, राज्य सरकार ;

(ख) ``उपभोक्ता`` से अभिप्राय है, अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न कोई व्यक्ति, जिसे निम्नलिखित द्वारा ऊर्जा सप्लाई की जाती है :--

(i) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ; या

(ii) बोर्ड द्वारा ;

(ग) ``ऊर्जा`` से अभिप्राय है, विद्युत ऊर्जा ;

(घ) ``अनुज्ञप्तिधारी`` से अभिप्राय है, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के भाग II के अधीन ऊर्जा वितरित करने के लिए कोई अनुज्ञप्त व्यक्ति तथा इसमें सम्मिलित है :--

(i) कोई व्यक्ति जिसने उस अधिनियम की धारा 28 के अधीन राज्य सरकार की ओर से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है ; और

[1][(ii) इसके स्थापित किए जाने की तिथि से दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड अथवा दिल्ली नगरपालिका निगम अथवा [2][[3](हरियाणा) सरकार से भिन्न कोई राज्य सरकार] जिसे उपभोग अथवा पुनर्विक्रय के लिए ऊर्जा सप्लाई की जाती है ;]

(ङ) ``विहित`` से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(च) ऊर्जा के सम्बन्ध में ``यूनिट`` से अभिप्राय है, प्रति घण्टा किलोवाट ; तथा

(छ) इस अधिनियम में अपरिभाषित किन्तु भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 में परिभाषित शब्दों तथा पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में दिए गए हैं।

बोर्ड आदि द्वारा उपभोक्ताओं अथवा अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदाय की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क।

[5][3(1) [4]बोर्ड द्वारा उपभोक्ता अथवा अनुज्ञप्तिधारी को सप्लाई की गई ऊर्जा पर ``विद्युत शुल्क`` नाम से ज्ञात शुल्क उद्ग्रहणीय होगा तथा उसका राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा और इसे निम्नलिखित दर पर संगणित किया जाएगा ; अर्थात् :--

(i) जहां ऊर्जा घरेलू उपभोक्ता को सप्लाई की जाती है, प्रति यूनिट अट्ठाईस पैसे से अधिक नहीं ;

---

1. 1959 के पंजाब अधिनियम 16 द्वारा खण्ड (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित तथा हमेशा के लिए प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए।
2. 1963 के पंजाब अधिनियम 11, धारा 2 द्वारा ``कोई राज्य सरकार`` शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. हरियाणा विधि-अनुकूलन आदेश, 1968 द्वारा ``पंजाब`` शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1963 के पंजाब अधिनियम 11, धारा 3(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1974 के हरियाणा अधिनियम 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) जहां ऊर्जा वाणिज्यिक उपभोक्ता को सप्लाई की जाती है, प्रति यूनिट अट्ठाईस पैसे से अधिक नहीं ; और

(iii) जहां ऊर्जा उपभोक्ता के किसी अन्य प्रवर्ग को सप्लाई की जाती है, वहां मास में इस प्रकार सप्लाई की गई ऊर्जा के मूल्य दर पर पचास प्रतिशत से अधिक नहीं, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु राज्य सरकार उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रवर्गों के लिए विभिन्न स्लैब विनिर्दिष्ट कर सकती है और ऐसे प्रत्येक स्लैब के लिए विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट कर सकती है :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा कोई उपभोक्ता उसे इस प्रकार सप्लाई की गई ऊर्जा के किसी भाग का घरेलू अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग करता है ,--

(क) जहां घरेलू अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा को मापने के लिए पृथक मीटर लगाया गया है वहां इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा के भाग पर विद्युत शुल्क की दर खण्ड (i) अथवा खण्ड (ii), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन यथा अधिसूचित होगी ; और

(ख) जहां घरेलू अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा को मापने के लिए पृथक मीटर नहीं लगाया गया है, इस प्रकार प्रदाय की गई पूर्ण ऊर्जा, जिसमें इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा भी शामिल है, विद्युत शुल्क की दर खण्ड (i) के अधीन तथा अधिसूचित होगी ;

(iv) जहां ऊर्जा किसी उपभोक्ता के, जो अनुज्ञप्तिधारी न हो, अस्थाई कनेक्शन या विद्यमान कनेक्शन के अस्थायी विस्तार के जरिए विवाह अन्य धार्मिक अथवा सामाजिक समारोह के अवसर पर प्रकाश के प्रयोजन के लिए सप्लाई की जाती है, वहां पर पूर्ववर्ती खण्डों में दी हुई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस प्रकार सप्लाई की गई ऊर्जा प्रति यूनिट दस रुपये से अधिक नहीं होगी जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; और

(v) जहां ऊर्जा अनुज्ञप्तिधारी को सप्लाई की जाती है वहां मास में इस प्रकार सप्लाई की गई ऊर्जा के मूल्य पर पच्चीस प्रतिशत :

परन्तु ऊर्जा की सप्लाई पर, जो कि धारा 2 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारी न होते हुए भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित को बेची जाती है ,--

(क) घरेलू उपभोक्ता अथवा वाणिज्यिक उपभोक्ता को, इस प्रकार बेची गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क की दर खण्ड (i) अथवा खण्ड (ii) के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, यथा अनुसूचित होगी ;

(ख) उपभोक्ताओं के किसी अन्य प्रवर्ग को तथा ऐसा उपभोक्ता इस प्रकार उसे बेची गई ऊर्जा के भाग का घरेलू अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए

SCANNER ODYSSEY APPS

करता है ,--

(i) जहां घरेलू अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा को मापने के लिए अलग मीटर लगाया गया है, वहां इस प्रकार उपयोग की गई सम्पूर्ण ऊर्जा पर प्रति यूनिट विद्युत शुल्क की दर खण्ड (i) अथवा खण्ड (ii), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन यथा अधिसूचित होगी ; और

(ii) जहां घरेलू अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस प्रकार उपयोग की गई ऊर्जा को मापने के लिए अलग मीटर नहीं लगाया गया है, वहां इस प्रकार सप्लाई की गई सम्पूर्ण ऊर्जा पर, जिसमें इस प्रकार उपयोग की ऊर्जा शामिल है, विद्युत शुल्क की दर खण्ड (i) के अधीन यथा अधिसूचित होगी ; और

(ग) जहां किसी उपभोक्ता को, किसी अस्थायी कनेक्शन या विद्यमान कनेक्शन के अस्थायी विस्तार के जरिए विवाह, अथवा धार्मिक अथवा सामाजिक समारोह के अवसर पर प्रकाश के प्रयोजन के लिए सप्लाई की जाती है, वहां इस प्रकार बेची गई ऊर्जा पर प्रति यूनिट बिजली की दर खण्ड (iv) में यथा विनिर्दिष्ट होगी।]

(2) निम्नलिखित द्वारा डेढ़ नए पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क उद्गृहीत की जाएगी और इसका राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा --

(क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई ऊर्जा पर, जो उस द्वारा स्वयं उत्पादित की जाए, और

(ख) स्वयं के उपयोग या खपत के लिए ऊर्जा उत्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा जिसमें एक मास में अपने लिए ऊर्जा का उपयोग किया या उसकी खपत की।

(3) उप-धारा (1) तथा (2) की कोई भी बात ऊर्जा की खपत अथवा बिक्री को लागू नहीं होगी जो कि --

(क) [1][उस सरकार द्वारा खपत के लिए भारत सरकार द्वारा खपत की गई या उसे बेची गई ; अथवा]

(ख) भारत सरकार द्वारा किसी रेलवे या उस रेलवे को संचालित करने वाली रेलवे कम्पनी के निर्माण, अनुरक्षण या संचालन में खपत हुई या किसी रेलवे के निर्माण, अनुरक्षण या संचालन में खपत के लिए उस सरकार या ऐसी किसी रेलवे कम्पनी को बेची गई।

---

1. 1959 के पंजाब अधिनियम 16, धारा 3 द्वारा ``भारत सरकार द्वारा खपत की गई या उसे बेची गई`` शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। ये शब्द हमेशा के लिए प्रतिस्थापित किये गये समझे जाएंगे।

(4) इस धारा के अधीन बिजली की खपत का हिसाब लगाते समय इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि के बाद पहले मीटर वाचन के बाद शुरू किए गए मीटर द्वारा दिखाई गई खपत के हिसाब में ली जाएगी :

[1][परन्तु पंजाब विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 1963 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर विद्युत शुल्क की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1963 की अप्रैल के प्रथम दिन के बाद पड़ने वाली प्रथम मीटर वाचन तिथि से प्रारम्भ होने वाले मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत गणना में ली जाएगी :

परन्तु यह और कि 1963 की प्रथम अप्रैल को प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए तथा 1963 की अप्रैल के प्रथम दिन के बाद पड़ने वाली मीटर की प्रथम वाचन से समाप्त होने वाली अवधि के लिए विद्युत शुल्क इस प्रकार संगणित किया जाएगा मानो पंजाब विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1963 अधिनियमित नहीं किया गया था।]

विद्युत शुल्क का संग्रहण तथा भुगतान।

4. विद्युत शुल्क बोर्ड अथवा अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अपने प्रयोग अथवा उपभोग, जैसी भी स्थिति हो, के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है, सरकार को भुगतान किया जाएगा।

अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना उपभोक्ताओं को स्वयं प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।

5. कोई भी अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार लगाए, किसी व्यक्ति से, जिसको ऊर्जा बेची जाती है, ऐसा शुल्क वसूल नहीं करेगा जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा [2][इस अधिनियम के अधीन] भुगतान किया जाना बनता हो।

व्याख्या .-- जहां राज्य सरकार, किसी अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता से शुल्क वसूल करना अनुज्ञात करती है, वहां शुल्क अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा के लिए वसूल किए गए मूल्य का भाग नहीं समझा जाएगा।

अभिलेख तथा विवरणियां।

6. (1) यदि राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, बोर्ड अथवा अनुज्ञप्तिधारी अथवा स्वयं के उपभोग अथवा उपभोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति ऐसा अभिलेख रखेगा और यह ऐसे प्ररूप तथा रीति में होगा जो निम्नलिखित के अनुसार विहित की जाए --

(क) उपभोक्ता को सप्लाई के लिए इस द्वारा अथवा उस व्यक्ति द्वारा उत्पादित अथवा प्राप्त की गई ऊर्जा के युनिट ;

(ख) उस उपभोक्ता को सप्लाई की गई अथवा उसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा के युनिट ;

(ग) उस पर भुगतानयोग्य शुल्क की राशि तथा इस अधिनियम के अधीन भुगतान अथवा वसूल किया गया शुल्क ; और

(घ) ऐसे अन्य विशेष विवरण, जो विहित किए जाएं।

---

1. 1963 के पंजाब अधिनियम 11, धारा 3(2) द्वारा रखा गया।
2. 1959 के पंजाब अधिनियम 16, धारा 4 द्वारा ''इस प्रकार बेची गई ऊर्जा या उसके किसी भाग के संबंध में'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित तथा हमेशा से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी।

SCANNER ODYSSEY APPS

(2) बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी अथवा अपने उपयोग अथवा खपत के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने वाला व्यक्ति जिसे उप-धारा (1) के अधीन अभिलेख रखने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप तथा रीति में, तथा ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो विहित किया जाए।

(3) ऊर्जा की राशि, उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में अभिनिश्चित की जाएगी, जो विहित की जाए।

निरीक्षण अधिकारी।

7. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 6 के अधीन अनुरक्षित अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(2) निरीक्षण अधिकारी, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों को कार्य रूप देने के प्रयोजन के लिए ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाएं।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

कुछ मामलों में शास्ति-शुल्क का भुगतान किया जाना।

8. (1) यदि इस निमित्त विहित प्राधिकारी की राय में, बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी अथवा अपने उपयोग अथवा उपभोग के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने वाला व्यक्ति, शुल्क के भुगतान का अपवंचन करने का यत्न करता है, चाहे वह ऐसा जाली अभिलेख रख के, जाली विवरणियां प्रस्तुत करके सप्लाई की गई ऊर्जा को छिपा के या अन्य साधन से ऐसा करता है, बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसा व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम के अधीन भुगतान किए गए शुल्क के अतिरिक्त, जुर्माने के रूप में, विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले शुल्क की राशि के चार गुणे से अनधिक राशि का भुगतान करेगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन, बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर तथा ऐसी फ़ीस के भुगतान पर की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) उप-धारा (2) के अधीन अपील पर किया गया आदेश अंतिम होगा।

(4) इस धारा के अधीन किसी जुर्माने के भुगतान के लिए किया गया कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी संस्थित अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

शुल्क की वसूली।

9. इस अधिनियम के अधीन देय कोई शुल्क अथवा धारा 8 के अधीन लगाया गया जुर्माना, जो भुगतान किए बिना रहता है, चाहे यह उपभोक्ता द्वारा बोर्ड को अथवा बोर्ड द्वारा अथवा अनुज्ञप्तिधारी अथवा अपने उपभोग के लिए ऊर्जा उत्पादन करने वाले व्यक्ति द्वारा सरकार को देय हो, भू-राजस्व के बकायों के रूप में अथवा बोर्ड द्वारा अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति

SCANNER ODYSSEY APPS

द्वारा राज्य सरकार को भुगतानयोग्य राशियों में से कटौती द्वारा वसूलीयोग्य होगा।

शुल्क के भुगतान न किए जाने पर सप्लाई को विच्छेद करने की शक्ति।

10. जहां कोई उपभोक्ता अथवा कोई अनुज्ञप्तिधारी बोर्ड को विद्युत शुल्क का भुगतान करने में असफल रहता है अथवा कोई उपभोक्ता ऐसे शुल्क को अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान करने में असफल रहता है, जो धारा 5 के अधीन उपभोक्ता से शुल्क वसूल करने के लिए प्राधिकृत है, वहां बोर्ड अथवा अनुज्ञप्तिधारी भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 24 के उप-धारा (1) द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान की गई शक्तियों को, इसके द्वारा अथवा उसे सप्लाई की गई ऊर्जा के सम्बन्ध में किसी प्रभार अथवा देय राशि के सम्बन्ध में बोर्ड अथवा अनुज्ञप्तिधारी प्रयोग कर सकते हैं।

शास्तियां।

11. यदि कोई व्यक्ति :--

(क) धारा 6 द्वारा अपेक्षित ऐसे अभिलेख या विवरणियों को विहित प्ररूप में अथवा रीति में रखने या प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जो झूठी है ; अथवा

(ख) धारा 7 के अधीन नियुक्त किए गए किसी निरीक्षण अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसकी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का पालन करने में जानबूझकर अड़चन डालता है ; अथवा

(ग) ऐसे किसी नियम का उल्लंघन करता है, जिसकी दोषसिद्धि पर [1][x x x] एक हजार रुपये तक के जुर्माने के लिए दायी है।

छूट देने की शक्ति।

12. राज्य सरकार लोकहित में, अधिसूचना द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता अथवा व्यक्ति को विद्युत शुल्क के पूर्ण अथवा किसी भाग के भुगतान से, ऐसी अवधि तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट दे सकती है जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

नियम बनाने की शक्ति।

13. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कारगर ढंग से कार्यरूप देने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप में तथा पूर्णगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकता है ,--

(क) धारा 3 के अधीन शुल्क (उपान्तिक समायोजनों सहित) की संगणना की रीति ;

(ख) बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी तथा अपने स्वयं के उपयोग अथवा उपभोग के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने वाले व्यक्ति द्वारा विद्युत शुल्क के संग्रहण तथा राज्य सरकार को भुगतान करने की रीति ;

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत शुल्क के भुगतान का समय तथा रीति ;

(घ) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रयोग तथा पालन की जाने वाली शक्तियां तथा कर्त्तव्य ;

---

1. 1954 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा ``मजिस्ट्रेट के सम्मुख`` शब्दों का लोप किया गया।

(ङ) कोई अन्य मामला जिसके उपबन्ध इस अधिनियम के प्रयोजनों को राज्य की राय में प्रभावी रूप देना आवश्यक है।

हरियाणा सरकार को अधिनियम का लागू होना।

[1][14. इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी सरकार को सप्लाई की गई ऊर्जा के सम्बन्ध में उसी रीति में जैसे कि वे किसी घरेलू उपभोक्ता अथवा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के किसी अन्य प्रवर्ग, जैसी भी स्थिति हो, लागू हों, [2][हरियाणा] सरकार को भी लागू होंगे।]

1. 1963 के पंजाब अधिनियम 11 की धारा 4 द्वारा धारा 14 जोड़ी गई।
2. हरियाणा विधि अनुकूलन आदेश, 1968 द्वारा ``पंजाब`` शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

SCANNER ODYSSEY APPS